## संक्षिप्त

### 5.76 ग्राम मादक पदार्थ जब्त

कपासन, (निसं)। पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कार्रवाई करते हुए एमडीएमए मौली पाउडर के तीन सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। संबंधित कार्रवाई एक तस्कर से 5.76 ग्राम मादक पदार्थ जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया था, जिससे एक बड़े सप्लाई नेटवर्क का खुलासा हुआ है। यह कार्रवाई 29 मार्च को शुरू हुई थी, जब पुलिस नाकाबंदी के दौरान शनिमहाराज की तरफ से आ रहा एक व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर घबराकर वापस मुडने लगा। पुलिस ने उसे पकडकर तलाशी ली, तो उसकी शर्ट की जेब से 5.76 ग्राम एमडीएमए मौली पाउडर बरामद हुआ। आरोपी की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के उचनार खुर्द गांव निवासी रामेश्वर जाट (42) पुत्र मिठूलाल जाट, के रूप में हुई। उसे एनडीपीएस में गिरफ्तार किया गया। मामले की आगे की जांच थानाधिकारी सुनील शर्मा को सौंपी गई थी। प्रकरण में आगे अनुसंधान करते हुए, पुलिस ने मादक पदार्थ सप्लाई नेटवर्क की चेन तोड़ने की दिशा में कार्रवाई की। जांच के दौरान, मौली पाउडर के तीन सप्लायर/पेडलर की पहचान की गई।

### खेत की तारबंदी विवाद में हमला

कपासन, (निसं)। खेत की तारबंदी का पोल टूटने के विवाद में दो भाइयों के परिवारों के बीच संघर्ष हो गया। इस हमले में एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसकी पत्नी को भी चोटें आईं। पुलिस ने बताया कि यह घटना क्षेत्र के गांव जवानपुरा में हुई। अमरचंद पुत्र रामा जाट अपनी पत्नी के साथ ट्रैक्टर से अपने खेत पर खाखला (फूसी) लेकर खेत से निकल रहे थे। इसी दौरान उनके ट्रैक्टर से बड़े भाई मिठू के खेत की मेड़ पर लगी तारबंदी का एक पोल टूट गया। पोल टूटने की जानकारी मिलने पर मिठू और उसके परिवार के सदस्य खेत पर पहुंच गए और अमरचंद ओर उसकी पत्नी से झगड़ा करने लगे। अमरचंद ने पोल दोबारा लगाने की बात कही, लेकिन विवाद बढ़ गया। इसके बाद मिट्ठू जाट, उसके बेटे राजू और बहू मंजू ने अमरचंद और उसकी पत्नी पर लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में अमरचंद का पैर फ्रैक्चर हो गया, और उनकी पत्नी को भी चोटें आईं। दोनों को कपासन अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अमरचंद को चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया।

### अवैध शराब बरामद की

उदयपुर, (कासं)। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर रोकथाम के लिए विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत आबकारी निरोधक दलों द्वारा प्रदेश में पाली, भवानीमंडी, बहरोड में गश्त, नाकाबंदी एवं दबिश कार्रवाई करते हुए अवैध मदिरा को जब्त किया। प्रदेश में जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए अन्य राज्य की शराब की तस्करी, अवैध मदिरा के परिवहन व विक्रय पर आबकारी निरोधक टीमों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। पाली जिले के सोजत में आबकारी निरोधक दल कार्रवाई में 268 पव्वे अवैध शराब के जब्त कर अभियोग दर्ज किया गया। बहरोड के शाहजहांपुर में अवैध मदिरा परिवहन के 2 अभियोग दर्ज करते हुए मारूती स्विफ्ट डिजायर वाहन से 10 बोतल विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब फोर सेल इन हरियाणा एवं रिट्ज कार से 24 अद्दे रॉयल स्टेग सेल इन हरियाणा शराब जब्त की गई। अवैध शराब परिवहन करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में भवानीमंडी में मदिरा दुकान क्षेत्र में आबकारी निरोधक दल ने दबिश दी।


**कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)**
क्रमांक : F.11( )Region-I/2026/1409 Date: 09-04-26

**आम सूचना**

राजस्व ग्राम देवाली (शोभागपुरा) के खसरा नम्बर 1454, 1467, 1474 से 1535, 1537 से 1541, 1543 से 1564, 1568 से 1607, 1612 से 1626, 1667, 1677, 1678, 1681 से 1694 एवं न्यास भूमि के आराजी संख्या 1492, 1493, 1522, 1529, 1530, 1546, 1570, 1573, 1605, 1667, 1681, 1689, 1690, 1691 के अनुमोदित प्लान मे स्थित भूखण्ड संख्या 173 क्षेत्रफल 1090'-12" वर्गफीट के नियमन हेतु श्री जुल्फिकार अहमद अली टीडीवाला पिता श्री अहमद अली टीडीवाला निवासी-101-ए, अहमद विला, स्ट्रीट 4-ए, खारोल कॉलोनी, फतहपुरा, उदयपुर (राज.) द्वारा आवेदन पत्र के साथ 90-क आदेश, अपंजीकृत विक्रय ईकरार, क्षतिपूर्ति बंध-पत्र, शपथ-पत्र आदि प्रस्तुत कर आवंटन / पट्टा चाहा गया हैं। प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूखण्ड मौके पर रिक्त हैं। आवेदक को उक्त भूखण्ड श्री भगवान पिता श्री चमना भील के वारिसान श्री कैलाश गमेती पिता श्री भगवान लाल भील से श्री जुल्फिकार अहमद अली टीडीवाला पिता श्री अहमद अली टीडीवाला को अपंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2018 से प्राप्त हुआ हैं।
अतः उक्त अनुमोदित प्लान मे स्थित भूखण्ड संख्या 173 क्षेत्रफल 1090'-12" वर्गफीट का पट्टा श्री जुल्फिकार अहमद अली टीडीवाला पिता श्री अहमद अली टीडीवाला निवासी-101-ए, अहमद विला, स्ट्रीट 4-ए, खारोल कॉलोनी, फतहपुरा, उदयपुर (राज.) के नाम करने के संबंध मे किसी को कोई आपत्ति/ऐतराज हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 07 दिवस मे प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मियाद् गुजरने नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। (जगदीश सिंह आशिया) उपायुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर


## राशन डीलरों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू

डूंगरपुर, (निसं)। डूंगरपुर जिले में राशन डीलर एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

डीलरों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो धरना जारी रहेगा और राशन वितरण व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। डूंगरपुर जिला राशन डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में राशन डीलर कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए। उन्होंने बताया कि जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक का लंबित कमीशन अब तक जारी नहीं किया गया है। जिसे तत्काल जारी करने की मांग की गई है।

शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान:-जैन ने यह भी बताया कि कुछ डीलरों का कमीशन उनके खातों में जमा होने के बजाय अन्य डीलरों के खातों में स्थानांतरित हो रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

डीलरों ने राशन वितरण के दौरान गंभीर नेटवर्क समस्या का मुद्दा भी उठाया,जिसके कारण उपभोक्ताओं और डीलरों के बीच अक्सर विवाद की स्थिति बनती है। उन्होंने मांग की कि वितरण के अनुपात में ही राशन का आवंटन किया जाए, क्योंकि कई दुकानों पर अप्रैल, मई और जून का आवंटन 5 से 10 क्विंटल तक कम मिल रहा है।

# कलक्टर ने किया मानसी वाकल व देवास परियोजना का निरीक्षण

उदयपुर, (कासं)। जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने शुक्रवार को शहर सहित जिले के प्रमुख वाटर प्रोजेक्ट मानसी वाकल और देवास का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आगामी दिनों में गर्मी बढ़ने के मद्देनजर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही देवास तृतीय व चतुर्थ चरण के कार्यों को समयबद्ध ढंग से गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए।

जिला कलक्टर अग्रवाल शुक्रवार शाम जल संसाधन विभाग तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ शुक्रवार करीब 5.30 बजे मानसी वाकल पहुंचे। वहां उन्होंने मानसी वाकल टनल का

■ 'देवास प्रोजेक्ट के कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के दिए निर्देश'

उदयपुर में मानसी वाकल व देवास परियोजना से जुड़े कार्यों का निरीक्षण करते कलक्टर गौरव अग्रवाल।

अवलोकन करते हुए जलापूर्ति व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने आगामी दिनों में पेयजल मांग में संभावित बढ़ोतरी तथा उपलब्धता के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में किसी भी क्षेत्र में पेयजल संकट नहीं होना चाहिए और सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। कलेक्टर ने अधिकारियों को जल स्त्रोतों की नियमित मॉनिटरिंग करने, टैंकरों की पर्याप्त व्यवस्था तथा जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर अकोदड़ा बांध पहुंच कर बांध, गेट, टनल आदि का निरीक्षण किया। पिछोला में जल अपवर्तन की पूरी प्रक्रिया समझी। उन्होंने ग्रेविटी से पानी पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर संतोष व्यक्त करते हुए प्रोजेक्ट की सराहना की। इसके बाद देवास तृतीय एवं चतुर्थ चरण के तहत प्रस्तावित टनल स्थल पर भी पहुंचे तथा प्रारंभिक चरण के कार्यों का अवलोकन किया।

उन्होंने देवास को महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बताते हुए इसके कार्यों को समयबद्ध और पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराने के भी निर्देश दिए। इस दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता रविन्द्र चौधरी, अधिशाषी अभियंता सृष्टि मेनारिया, नवीन शर्मा, जल संसाधन से अधिशाषी अभियंता बीरबल डूडी व मोहित पाटीदार, झाड़ोल तहसीलदार सीताराम बॉलीवाल, बीडीओ जितेन्द्र राजावत सहित विभागीय अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

## क्विज प्रतियोगिता 12 से

बांसवाड़ा, (निसं)। राजकीय कन्या महाविद्यालय में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के उपलक्ष्य में 12 से 14 अप्रेल तक संविधान को जाने विषयक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी।

इस अवसर पर साहित्यिक, सांस्कृतिक समिति प्रभारी प्रो. सर्वजीत दुबे ने बताया कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जीवन परिचय एवं संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा के सभी विद्यार्थियों को इस ऑनलाइन क्वीज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से निर्देश प्राप्त हुए है।

## एसपी ने सीएलजी की ली बैठक

उदयपुर, (कासं)। जिला पुलिस अधीक्षक डा.अमृता दुहन ने शुक्रवार को जिले के गोगुंदा कस्बे में दौरे के दौरान पंचायत समिति सभागार में सीएलजी बैठक आयोजित की गई। इसमें खुलकर चर्चा की गई। एसपी ने ग्रामीणों को संबोधित कर खुलकर बात की।

एसपी ने कहा कि आपके यहां पर कोई तेज बाइक चलाता हो। कॉलेज या स्कूल के पास लडकियों को परेशान करता है। काम कुछ नहीं और खूब पैसा कमा रहा है तो हमें बताएं। गलत काम करने वालों को पुलिस नहीं बख्शेगी।उन्होंने कहा. जनता अपराध से जुडी कोई भी सूचना हो उनके सीयूजी नंबर पर वॉट्सएप करें वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चर्चा के दौरान एसपी ने अपना सीयूजी मोबाइल नंबर 8764527201 शेयर करते हुए कहा कि फोन करने की बजाय सिर्फ इस पर वॉट्सएप कर दीजिए। इस सीयूजी नंबर का वॉट्सएप मेरे फोन में है, इसे मैं चेक करती हूं, फोन तो गनमैन के पास रहता है, लेकिन वॉट्सएप मेरे मोबाइल में चलता है। मेरी पूरी नजर रहती है।एसपी ने कहा. इस नंबर पर आप कोई भी बात बताएंगे वो मेरे पास आएगी। सूचना देने वाले का नाम, मोबाइल नंबर बाहर नहीं जाएगा, पूरी गोपनीयता रहेगी आप मुझे सूचना दे सकते हैं।

एसपी दुहन ने कहा कि बेटियों को कॉलेज.स्कूल में जाते समय कोई असामाजिक तत्व परेशान करते तो मुझे सूचना दे सकते हैं। कुछ असामाजिक तत्व तेज बाइक चलाते या कोई घटना कर जाते है तो इसकी जानकारी भी मुझे भेज सकते हैं।उन्होंने कहा. जो कुछ काम नहीं करते और उनके पास खूब पैसा आ रहा है तो इसकी भी जानकारी देनी है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे सोच है कि कहीं न कहीं गलत काम में वो लोग इन्वॉल्व होंगे। आपकी सूचना पर पुलिस जांच करेगी।


**कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)**
क्रमांक : F.11( )Region-I/2026/1412 Date: 10-04-26

**आम सूचना**

राजस्व ग्राम देवाली (शोभागपुरा) के खसरा नम्बर 2271, 2272 के अनुमोदित प्लान मे स्थित भूखण्ड संख्या 7-बी क्षेत्रफल 1525'-0" वर्गफीट के नियमन हेतु श्री मुसताली पिता श्री बाकिर हुसैन चुनावाला निवासी- 15, न्यू, अंहिसापुरी, उदयपुर (राज.) द्वारा आवेदन पत्र के साथ 90-क आदेश, पंजीकृत विक्रय ईकरार, क्षतिपूर्ति बंध-पत्र, शपथ-पत्र आदि प्रस्तुत कर आवंटन/पट्टा चाहा गया हैं। प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूखण्ड पर भवन निर्मित हैं। आवेदक को उक्त भूखण्ड श्री वाहिद हुसैन पिता श्री आबीद अली पीपावाला से श्री मुसताली पिता श्री बाकिर हुसैन चुनावाला को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28-04-2008 से प्राप्त हुआ हैं।
अतः उक्त अनुमोदित प्लान मे स्थित भूखण्ड संख्या 7- बी क्षेत्रफल 1525'-0" वर्गफीट का पट्टा श्री मुसताली पिता श्री बाकिर हुसैन चुनावाला निवासी - 15, न्यू, अंहिसापुरी, उदयपुर (राज.) के नाम करने के संबंध मे किसी को कोई आपत्ति / ऐतराज हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 07 दिवस मे प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मियाद् गुजरने नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी।
(जगदीश सिंह आशिया) उपायुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर



**कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)**
क्रमांक : F.11( )Region-I/2026/1408 Date: 09-04-26

**आम सूचना**

राजस्व ग्राम देवाली (शोभागपुरा) के खसरा नम्बर 1454, 1467, 1474 से 1535, 1537 से 1541, 1543 से 1564, 1568 से 1607, 1612 से 1626, 1667, 1677, 1678, 1681 से 1694 एवं न्यास भूमि के आराजी संख्या 1492, 1493, 1522, 1529, 1530, 1546, 1570, 1573, 1605, 1667, 1681, 1689, 1690, 1691 के अनुमोदित प्लान मे स्थित भूखण्ड संख्या 172 क्षेत्रफल 1020'-00" वर्गफीट के नियमन हेतु श्री जुल्फिकार अहमद अली टीडीवाला पिता श्री अहमद अली टीडीवाला निवासी-101-ए, अहमद विला, स्ट्रीट 4-ए, खारोल कॉलोनी, फतहपुरा, उदयपुर (राज.) द्वारा आवेदन पत्र के साथ 90 - क आदेश, अपंजीकृत विक्रय ईकरार, क्षतिपूर्ति बंध-पत्र, शपथ-पत्र आदि प्रस्तुत कर आवंटन / पट्टा चाहा गया हैं। प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूखण्ड पर भवन निर्मित हैं। आवेदक को उक्त भूखण्ड श्री भगवान पिता श्री चमना भील के वारिसान श्रीमती लीलाबाई पत्नी श्री भगवान लाल भील से श्री जुल्फिकार अहमद अली टीडीवाला पिता श्री अहमद अली टीडीवाला निवासी-101-ए, अहमद विला, स्ट्रीट 4 -ए, खारोल कॉलोनी, फतहपुरा, उदयपुर (राज.) को अपंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2018 से प्राप्त हुआ हैं।
अतः उक्त अनुमोदित प्लान मे स्थित भूखण्ड संख्या 172 क्षेत्रफल 1020'-00"वर्गफीट का पट्टा श्री जुल्फिकार अहमद अली टीडीवाला पिता श्री अहमद अली टीडीवाला निवासी- 101-ए, अहमद विला, स्ट्रीट 4 -ए, खारोल कॉलोनी, फतहपुरा, उदयपुर (राज.) के नाम करने के संबंध मे किसी को कोई आपत्ति / ऐतराज हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 07 दिवस मे प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मियाद् गुजरने नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। (जगदीश सिंह आशिया) उपायुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर


## शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी का स्वागत

शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी का साई कृपा एनफोर्समेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, मीरानगर, बी ब्लॉक,कार्यालय में स्वागत किया।

उदयपुर, (कासं)। शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी का साई कृपा एनफोर्समेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, मीरानगर, बी ब्लॉक, उदयपुर के कार्यालय में भव्य स्वागत किया।

इस दौरान युवा कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश महासचिव यशपाल सिंह शक्तावत एवं साई कृपा निदेशक विजेंद्र यादव ने भाटी का स्वागत किया।कार्यक्रम में छत्रपाल सिंह बबराना, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कुलदीप सिंह, देवव्रत सिंह तंवर, कुलदीप सिं, देवेंद्र सिंह, किशोर सिंह, सुरेंद्र, अल्पेश पटेल, लक्ष्मण गहलोत, पवन रेबारी, केसर सिंह देवडा, सुरेश जी, राजेश जी, सोहन जी मेवाडा, चिराग सतूजा जी, रामनिवास स्वामी, मनीष यादव, गजेंद्र मेनारिया, प्रदीप चाहर व सुभाष स्वामी सहित अनेक युवा उपस्थित रहे।

इस दौरान विधायक भाटी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह युवाओं का दौर है, मेहनत करें और राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाएं।

## उन्नत कार्डियक केयर पर राष्ट्रीय स्तर का मंथन कांफ्रेंस आज से

उदयपुर, (कासं)। हर वर्ष की भांति इस बार भी 'कार्डियोनेक्स्ट' 2026 कॉन्फ्रेंस एक नए और विस्तारित स्वरूप में की जा रही है। गीतांजली मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल द्वारा आयोजित इस वर्ष की कॉन्फ्रेंस 11 एवं 12 अप्रैल को रॉयल रिट्रीट, उदयपुर में होगी, जिसमें देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की भागीदारी इसे और खास बनाएगी।

चर्चा के दौरान हृदय रोग विभाग के एच.ओ.डी.डॉ. रमेश पटेल ने बताया कि इस बार कॉन्फ्रेंस में अत्याधुनिक तकनीकों और ग्लोबल प्रथाओं पर विशेष फोकस रहेगा। खास तौर पर बच्चों में हृदय रोग, जटिल केस प्रबंधन और नई उपचार पद्धतियों पर विस्तृत चर्चा होगी, जिससे यह आयोजन केवल एक कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि ज्ञान-विनिमय मंच के रूप में उभरेगा।

हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. दिलीप जैन ने कहा कि 'कार्डियोनेक्स्ट-2026' डॉक्टरों के लिए कौशल उन्नयन का बेहतरीन अवसर है, जहां उन्हें नई तकनीकों को समझने और अपनाने का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। जीएमसीएच के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट

डॉ. रमेश पटेल, डॉ. दिलीप जैन ने कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी दी।

डॉ. हरप्रीत सिंह ने अस्पताल की उन्नत सुविधाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि गीतांजली में तीन अत्याधुनिक कैथ लैब (हृदय जांच प्रयोगशालाएं) और हर मरीज के लिए समर्पित विशेषज्ञ टीम मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न केवल चिकित्सा तकनीकों पर चर्चा होगी, बल्कि रोगी-केंद्रित देखभाल को भी केंद्र में रखा जाएगा। इस दिशा में एच.ओ.डी डॉ. रमेश पटेल, डॉ. दिलीप जैन, डॉ. रोहित सैनी, डॉ. गौरव मित्तल एवं डॉ. संजय गांधी (हार्ट सर्जरी विभाग के एच.ओ.डी.) के नेतृत्व में लगातार कार्यरत हैइलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट डॉ. गौरव मित्तल ने बताया कि उदयपुर में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी सेवाओं की शुरुआत के बाद हृदय की धडकन से जुडी बीमारियों के इलाज में नई संभावनाएं खुली हैं। कॉन्फ्रेंस में इस विषय पर विशेष सत्र और संगोष्ठी आयोजित किए जाएंगे, जो इसे और अधिक प्रासंगिक बनाएंगे।

## अवलोकन किया

बांसवाड़ा, (निसं)। इंजीनियरिंग कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग विभाग की ओर से विद्यार्थियों के शैक्षिणक एवं व्यावहारिक विकास के उद्देश्य से जल शोधन संयंत्र एवं अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र का औद्योगिक भ्रमण कराया गया। प्राचार्य डॉ. अर्पित पाठक के मार्गदर्शन तथा संकाय सदस्य सागर गुप्ता एवं रोहन गुप्ता के निर्देशन में विद्यार्थियों ने जल शोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं का गहन अवलोकन करते हुए तकनीकी बारीकियों को समझा। तकनीकी विशेषज्ञों आरयूआईडीपी के सहायक अभियंता अशोक कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर राहुल मिश्रा, साइट इंचार्ज प्रकाश पटेल एवं केमिस्ट प्रेम कुशवाह ने विद्यार्थियों को संयंत्रों की कार्यप्रणाली की जानकारी दी।

## ई-पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन

उदयपुर, (कासं)। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी के जनक डॉ. हैनिमैन की 271वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर एवं वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरामेडिकल साइंसेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉ. आनंद प्रकाश गुप्ता द्वारा डॉ. हैनिमैन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया गया।

# नर्सिंग पदों को समाप्त करने का विरोध, प्रदर्शन किया

डूंगरपुर, (निसं)। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की डूंगरपुर जिला इकाई ने मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में नियमित नर्सिंग संवर्ग के 11o पदों को समाप्त करने के सरकारी निर्णय के खिलाफ शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इन पदों को पुनः सृजित करने की मांग की है।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से कुल 1267 नर्सिंग संवर्ग के पदों को समाप्त किया है। इसमें डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के 11o नियमित पद शामिल हैं। वर्तमान में इन पदों पर नर्सिंगकर्मी कार्यरत है। पदाधिकारियों के अनुसार डूंगरपुर अनुसूचित क्षेत्र का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है जहां मरीजों की संख्या लगातार बढ रही है। ऐसे में नियमित पदों को समाप्त करना अव्यावहारिक है। नर्सिंग कर्मियों की कमी से संस्थान की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है। एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग और राज्य सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और पदों को बहाल करने की मांग की है। नर्सेज एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि पदों को समाप्त करने की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई और कार्यरत कर्मियों के हितों की रक्षा नहीं की गई, तो समस्त कर्मचारी धरना और विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

# विद्यापीठ: विधि महाविद्यालय में मूट कोर्ट का हुआ आयोजन

उदयपुर, (कासं)। विधि शिक्षा को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान विद्यापीठ के संघटक विधि संकाय के विद्यार्थियों की ओर से मूट कोर्ट का आयोजन किया गया जिसमें मेडिकल ग्रॉस नेग्लिजेन्स के एक महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट की गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने

■ 'व्यावहारिक प्रशिक्षण से ही सशक्त बनती है विधि शिक्षा'

न्यायालय की कार्यप्रणाली का जीवंत प्रदर्शन करते हुए वाद-विवाद, तर्क और कानूनी प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण किया।

मामले के अनुसार, एक मरीज को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहाँ उचित चिकित्सा सुविधाओं और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण उसकी हालत बिगड़ती चली गई। आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन ने न तो आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए और न ही समय

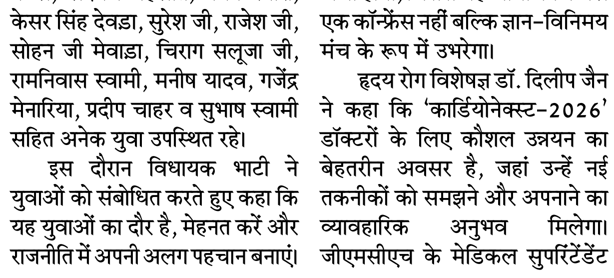

राजस्थान विद्यापीठ में विधि महाविद्यालय में मूट कोर्ट के आयोजन के दौरान विद्यार्थियों ने न्यायिक प्रक्रिया की झलक प्रस्तुत की।

पर विशेषज्ञ डॉक्टर की व्यवस्था की, जिससे मरीज की मृत्यु हो गई।निर्णय देते हुए मूट कोर्ट के जजों ने कहा कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की यह लापरवाही ग्रॉस नेग्लिजेन्स की श्रेणी में आती है, और ऐसे मामलों में संस्थान को भी उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत डॉक्टर को। निर्णायकों ने यह भी कहा कि अस्पतालों को अपने स्टाफ की योग्यता, उपकरणों की उपलब्धता और आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि मरीजों के जीवन की रक्षा की जा सके। कुलपति प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत ने विद्यार्थियों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि विधि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे व्यवहारिक अभ्यास के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि मूट कोर्ट जैसी गतिविधियां विद्यार्थियों में तार्किक क्षमता, न्यायिक सोच और प्रभावी अभिव्यक्ति का विकास करती है। कुलपति ने विद्यार्थियों को भविष्य में एक सक्षम और संवेदनशील विधि विशेषज्ञ बनने के लिए निरंतर अध्ययन और अभ्यास करने की प्रेरणा दी।प्रारम्भ में प्राचार्य प्रो. कला मुणेत ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि मूट कोर्ट विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी गतिविधि है, जिसके माध्यम से उन्हें न्यायालय की कार्यप्रणाली, वकालत की शैली और कानूनी तर्कों को व्यवहारिक रूप से समझने का अवसर मिलता है।

उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और विधिक ज्ञान को सुदृढ़ बनाती है। जज की भूमिका सुरभी मेनारिया, डॉक्टर की राहुल अठावाल - ज्योति, पुलिस की हेमेन्द्र त्रिवेदी, एडवोकेट की कनक सिंघोली, सिद्धार्थ शर्मा, दीपक सिंह चौहान, इफतियाक खान ने निभाई।कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने न्यायाधीश, वकील, पुलिस, डॉक्टर और पक्षकार की भूमिका निभाते हुए एक काल्पनिक मुकदमे की सुनवाई प्रस्तुत की, जिसे उपस्थित शिक्षकों और विद्यार्थियों ने सराहा।


**कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द ( राज. )**
Email:-np_ntd@yahoo.in Phone:- 02953-233526

क्रमांक /न.पा.नाथ/नामा./2026/40 दिनांक : 1.4.2026

**- : आपत्ती सूचना :-**

एतर्थ द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर भूखण्डों का नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो 7 दिवस (कार्य दिवस) में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी :-

| क्र. सं. | आवेदक का नाम व पता | आवेदित सम्पत्ति का पता | पड़ौस का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पूर्व | पश्चिम | उत्तर | दक्षिण |
| 1. | श्रीमती शीतल श्रीमाली पत्नि श्री ध्रुव श्रीमाली निवासी-राजसमंद | भूखण्ड संख्या-19 क्षैत्रफल- 1266.71 वर्गफिट, भलावतों का खेडा, नाथद्वारा | अन्य भूमि | 30 फिट रोड | भूखण्ड संख्या-18 | भूखण्ड संख्या-20 |

आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा



**कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द ( राज. )**
Email:-np_ntd@yahoo.in Phone:- 02953-233526

क्रमांक /न.पा.नाथ/नामा./2026/19365 दिनांक : 27.3.2026

**- : आपत्ती सूचना :-**

एतर्थ द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर भूखण्डों का नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो सात दिवस (कार्य दिवस) में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी :-

| क्र. सं. | आवेदक का नाम व पता | आवेदित सम्पत्ति का पता | पड़ौस का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पूर्व | पश्चिम | उत्तर | दक्षिण |
| 1. | श्री मुर्तजा अली बोहरा पिता श्री तोहर अली बोहरा निवासी-नाथद्वारा | भूखण्ड संख्या-10 क्षैत्रफल-1991 वर्गफिट, कोठारिया रोड, लाल बाग नाथद्वारा | अन्य भूमि | 30 फिट रोड | भूखण्ड संख्या-09 | 100 फिट रोड |
| 2. | श्रीमती इन्द्रा सिंघवी पत्नि श्री ख्यालीलाल सिंघवी निवासी-नाथद्वारा | भूखण्ड संख्या-07 क्षैत्रफल-1306 वर्गफिट, कोठारिया रोड, लाल बाग, नाथद्वारा | अन्य भूमि | 30 फिट रोड | 30 फिट रोड व नहर | भूखण्ड संख्या-08 |
| | | भूखण्ड संख्या-08 क्षैत्रफल-875.07 वर्गफिट, कोठारिया रोड, लाल बाग, नाथद्वारा | अन्य भूमि | 30 फिट रोड | भूखण्ड संख्या-07 | भूखण्ड संख्या-09 |
| | | भूखण्ड संख्या-09 क्षैत्रफल-875. 07वर्गफिट, कोठारिया रोड, लाल बाग, नाथद्वारा | अन्य भूमि | 30 फिट रोड | भूखण्ड संख्या-08 | भूखण्ड संख्या-10 |

आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा



**एस.के.फाइनेंस लिमिटेड**
(CIN : U65923RJ1994PLC009051)
पंजीकृत कार्यालय: जी 1-2, न्यू मार्केट, खासा कोठी सर्किल, जयपुर- 302001 टोल फ्री: 1800 1039 039
ई-मेल: info@sfkin.in

**शाखा कार्यालय स्थानान्तरण करने हेतु सार्वजनिक सूचना**

सर्वसूचित किया जाता है कि कम्पनी प्रबंधक के निर्णयानुसार हम अपनी **भीम शाखा** को नये पते पर स्थानान्तरित कर रहे हैं:-
**पुराना पता** - के.के. प्लाजा, पहली मंजिल, सरकारी अस्पताल रोड, भीम, जिला-राजसमंद - 305921 (राजस्थान)
**नया पता** - खसरा नं. 16708/11828, पहली मंजिल, केके प्लाजा, सरकारी अस्पताल रोड, भीम, जिला राजसमंद-305921 (राजस्थान)
अतः हम अपने सभी ग्राहकों से अनुरोध करते है कि भविष्य में हमारी किसी भी तरह की लोन सुविधाओं के लिए हमारे नये पते पर संपर्क करें।



**SRG HOUSING FINANCE LIMITED**
**एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**
CIN: L65922RJ1999PLC015440
321, एस.एम. लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्किल के पास, उदयपुर - 313001 ( राजस्थान )
दूरभाष : 0294-2412609, ईमेल: info@srghousing.com, वेबसाइट: www.srghousing.com

**परिशिष्ट - 4 {नियम 8 (1)} वास्तविक कब्जे की सूचना (स्थावर संपत्ति के लिए)**

अधोहस्ताक्षरी, जो एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है, ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13( 12 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं सपठित प्रतिभूति हित ( प्रवर्तन ) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत निम्न ऋणी/सहऋणी/जमानतियों/बन्धककर्ता को एक मांग पत्र उसमें उल्लेखित रकम जो नीचे दर्शायी गयी है, उक्तसूचना पत्र की प्राप्ति की तारीख से 60 दिवस के भीतर प्रतिदाय करने के लिए ''मांग पत्र'' जारी किया था। ऋणी/सहऋणी/जमानतियों/बन्धककर्ता द्वारा रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर ऋणी, सहऋणी, बन्धककर्ता, उनके जमानतदारों एवं जनसाधारण को यहाँ सूचना दी जाती है की अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम धारा 13( 4 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002, के नियम 8 के अंतर्गत निम्न संपत्तियों का वास्तविक कब्ज़ा उल्लेखित दिनांक को ले लिया है। ऋणी सहऋणी, बन्धककर्ता व जमानतदारो को विशिष्ट रूप से एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से इसके द्वारा सावधान किया जाता है की वह नीचे वर्णित संपत्तियों के सम्बन्ध में कोई व्यवहार नही करे। इन संपत्तियों के सबंध में किया गया कोई भी व्यवहार नीचे मांग पत्र में वर्णित रकम, और मांग पत्र की दिनांक से आगे के ब्याज, खर्चों, अन्य खर्चों आदि के लिए एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 321, एस.एम. लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्किल के पास, उदयपुर- 313001 ( राजस्थान ) के प्रभार के अधीन होगा। अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 8 ) के अंतर्गत सुरक्षित ( सिक्योर्ड ) प्रतिभूति के उन्मोचन के लिए उपलब्ध समय के प्रावधानों की ओर ऋणी, सहऋणी, बन्धककर्ता व उनके जमानतदारो का ध्यान आकृष्ट करता है।

| क्र. सं. | ऋण खाता संख्या/ ऋणी/ सहऋणी/ जमानती | 1 ) मांग पत्र की दिनांक 2 ) वास्तविक कब्जे की दिनांक 3 ) मांग राशि मांग पत्र अनुसार | स्थावर संपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | HLR0000000016226 श्री कालू लाल रेगर पुत्र श्री भंवर लाल रेगर ( ऋणी ) श्रीमती सीमा बाई पत्नी श्री कालू लाल रेगर ( सह-ऋणी ) श्री महेंद्र कुमार रामेश्वर लाल पुत्र श्री रामेश्वर लाल ( जमानती-1 ) श्री घिसा लाल मेगवाल पुत्र श्री भेरू लाल ( जमानती-2 ) | 1 ) मांग पत्र की दिनांक- अगस्त 12, 2024 2 ) वास्तविक कब्जे की दिनांक- अप्रैल 09, 2026 3 ) मांग राशि मांग पत्र अनुसार- ₹ 01,171,400/- रुपये ग्यारह लाख एगहत्तर हजार चार सौ मात्र दिनांक अगस्त 12, 2024 तक एवं अगस्त 13, 2024 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त। | श्री कालू लाल रेगर पुत्र श्री भंवर लाल रेगर की सम्पति पट्टा सं.-13, बुक सं.-63, आराजी सं.-688, ग्राम-रावर्दा, ग्राम पंचायत-रावर्दा, पंचायत समिति-बेगन, तहसील-बेगन, जिला-चित्तौड़गढ़ ( राजस्थान ) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1593.00 वर्ग फीट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व- मांगीलाल रेगर, पश्चिम- शम्भू/ तुलसीराम, उत्तर- फतेह सिंह का फार्म, दक्षिण- आम रास्ता |

स्थान- राजस्थान
प्रकाशन की दिनांक- 11/04/2026

**अधिकृत अधिकारी**
एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड